steps are, therefore, immediately called for:—

- (a) The producer should not be allowed to cut down production;
- (b) They must reduce their prices to pre-July 1982 level forthwith;
- (c) Import duty hould be reduced to 20 percent so that the producers have to reduce their price to less than Rs. 1 200 to 1,300 per tonne. Their resistance to price reduction is stiffening by raising the falle olgan of glut and dumping by Bulgaria etc.

12.52 hrs.

ANTI-HIJACKING BILL—CONTD.

SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS
AGAINST SAFETY OF CIVIL AVIATION BILL—CONTD.

MR. DEPUTY- PEAKER The House will not take up further consideration of the Anti-Hijacking Bill and the uppresion of Unlawful Act again t Safety of Civil Aviation Bill moved by Shri Bhagwat Jha Azad. Out of two hour alloted, one hour and five minutes were taken ye terday and 55 minutes remain. We will complete the e two Bill and then adjourn for lunch.

DR UBR IANIAM SWAMY (B mbay orth at): ir, this Bill has come in order to give legal has to a on intion, which was passed more than half a decade ago, which it was not thought fit all the eyear to bring in the form of an Act. Therefore, the question aris —it is a matter of curio ity—why this Anti-Hijasking Bill come at this stage.

A far a I in under tand it, the reason i that the Government has run into difficulties with its own hijacker. Earlie, on, the problem was to take a political stand on hijackers of other countries. For xample, if the Pale tenian Libera-

tion Organi ation member hijacked a plane to India, and some other countries demanded them, then India would have felt embarra ed, because we support the Similarly, cause. if Bhutto had hijacked plane from Pakistan and brought it to India, then we would have to return him to Pakistan which the e people would have found very embarrassing. But these Khalistan people have brought Government more in line with the international thinking on the subject because when the Khalistan people hijacked this plane and took it to Lahore and they w re arre ted and I mu t say Pakistan hould be congratulated on helping the Indian pas engers to be freed without violen and ent home afely on each time but the found that after they were arre ted by the Pakistan authorities they wer demanded back. The Paki tan Government imply a ked thi question that if you take them back, under what law are you going to try them and, econdly, if you take them back and we give them back to you and tomorrow Paki tanis hijack a plane into India, will you reciprocate and return those people to us? Thi wa the que tion that wa asked from this Government and this Government had no answer because they did not have an Act. Now the Act has come and Article 7 of that Act pecifile more elearly that we wil reciprocate. So I welcome thi Bill becaue it i in line and ke ping with the tradition, the international tradition, that ha been e tabli hed that hijacking i bad whether Indians do it, whether Khali tan people do it, whether the Pale tinian Liberation Organiation due it, anybod doe it we do not con ider omething alled a terrorist hijacking or political hija king or whatever. However, there is a moral que tion which thi Mini ter mu t an wer. There w s a hija king within the country from Lucknow to Varansi by two people called Devendra Nath Pande and Bhola Nath Pande. So, we also arrested them in Varan i and sent them to jail and filed a ca again't them, and in e then I find that they are not in jail. so, I inve tig ted

Court of the second

[Dr. Subramaniam Swamy]

and tried to find out where they are, and I found they were in Congress (I) and they have become MLA. Now I had asked this question of the then Home Minister Giani Zail Singh that you condemn the hijacking of the Khalistan people when you have rewarded the hijacker Bhola Nath Pande Nath and Devendra Pande and made them MLA. So, he said there was a difference in the case of Bhola Nath Pande Devendra Nath Pande. They did hijacking within the country and as far as the Khali tan people are concerned they went out ide the country. Now, I would like the Minister to clarify whether hijacking is hijacking within the country or outside the country and if you do it within the country you will be rewarded in this way or not. I think this is a moral slur on the ruling party which it has to live down. So, I would conclude with the comment that the anti-hijacking measure in our airports are very primitive. think it is neces ary.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The State Government has withdrawn the ca es.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Ye I know that they have withdrawn the cale and made them MLA. So, I think the equipment hould be modernied because the airport is a big headache-going and opening your bag, going through the referring. It is better to have these cameras, these X-Ray machines fitted on the major airports. Today Delhi ha a an experimental measure but I think it should be done on all the airports and I think little expenditure on that is no harm. Secondly, I find it very odd that Members of Parliament are searched in a way that common criminals are searched. I am not searched because most policemen recognise me as the man who escaped during the Emergency. So, they say if you want to escape you will do it anyway.

MR. DEPUTY SPEAKER: You cannot be searched because you get into plane without their knowledge.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: They say that if you want to do anything mischievous you will do in any way. Your apality of mi hief is etablished. But I do find many of my colleague going through great harament for this and I do not why. If Member of Parliment are upposed to sefeguard the nation, they mu t have an e tabli hed identity, name. There is no question of identity, why there cannot be some special measure either through the pre-entation of identity card or whatever where the Member of Parliament can be exempted from the e security checks becau e we do travel quite frequently and it becomes very odd. I would allo ay to the Minister since he is here that anti-hijacking measures need not re-ort to primitive method. Now, I will give you an illutration of the primitive method that are being used. We are told that Delhi Airport cannot be photographed.

13.00 hrs.

This is a regulation which is not there in any democratic country of the world. Be ide this Delhi Airport is being photographed by atellite all the time. The tourists come and they want to take photograph of people coming and getting off the plane and climbing on the plane. If you go to America Japan, Germany you are allowed to take the photographs. This is something which people like to treaure. But this Government is following something of 1983 or whatever about prohibiting photograph in airport. If he wants to get a photograph of air-port, I can give it to him taken by a satellite and sold commercially all over the world. But Indian citizens cannot take photograph of our own airport and photograph of the parenger. I think this should be changed. There should be review of the Airport Act that is quite out of date.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं। प्रश्न पर 10-12 वर्षों तक विचार नहीं किया गया जब कि नागर विमानन संगठन के द्वारा इस प्रश्न पर बहुत पहले यह निर्णय लिया गया था कि श्रक्सर वायु में परिवहन की व्यवस्था की सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो कुछ करारनामे हुए हैं उनके श्रनुसार हमकी चलना चाहिए। लेकिन उस निर्णय का लेने के बाद 10-12 वर्ष तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्राज दुनिया में वायुयान द्वारा याता बहुत लोकप्रिय हो गई है भ्राम भ्रादमी भी इसमें भ्राने-जाने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही विष्वंसात्मक कार्यवाहियां भी काफी माता में बढ़ गई हैं। वायुयानों के भ्रपहरण के मामले भी दिनोंदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी भारत सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की भ्रीर श्रन्तरर्राष्ट्रीय करारों का ग्रनुकरण नहीं किया।

हमने देखा कि पिछले वर्षों में ग्रपने देश में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई। भारत का वायुयान पाकिस्तान ले जाया गया ग्रीर उसे वहां जलाया गया। पता नहीं उसके मुग्रावजे लेने या ग्रन्य तरह मे उसकी क्षतिपूर्ति की भी कोई व्यवस्था हो सकी है या नहीं। ग्रगर ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में हुए इकरारनामों के ग्रनुसार इस पर कोई ठोस कार्यवाही करने पर कुछ विचार किया जाता ता ग्रच्छा होता। न जाने क्यों इस दिशा में कुछ नहीं किया

इस विधेयक में कुछ किमयां रह गई हैं। वायुयान द्वारा धर्म श्रीर धार्मिक भावना से भी लोग याता करते हैं। हवाई जहाजों के नियमों के श्रनुसार किसी धर्म

वगैरह के लिए यात्रा करने वालां का प्रश्रय नहीं देना चाहिए । यात्रियों की सुरक्षा प्रमुख चीज होनी चाहिए। वायुयान से याता बहुत महंगी है ग्रौर ग्रगर याता करने वालों को मुरक्षा की कोई व्यवस्था न हो तो विकट वात हो जाती है ग्रीर खतरे का वातावरण वन जाता है। इस से यातियों का वायुयान से याता करने के सम्बन्ध में निरुत्साहित होना पड़ता है। धार्मिक भावना से यात्रा इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से खालिस्तान के समर्थकों ने की ग्रीर ग्रपनी मांग के लिए भय ग्रीर ग्रातंक का वातावरण उत्पन्न किया या किसी तरह को ग्रपनी ग्रन्य कार्य-वाहियों के द्वारा वायुयान को अपहरण करना चाहा। ऐंसे मामलों में सभी के साय समान व्यवहार होना चाहिए। एसा न हो कि ऐसे कार्य के लिए किसी की पुरस्कार दिया जाए जैसा कि उत्तर प्रदेश के श्री भोलानाथ पांडे ग्रौर देवेन्द्र पांडे को दिया गया । इस तरह के ग्रपराधियों को एम 0 एल 0 ए 0 बना दिया गया । इस से दूसरे लोगों में भी ऐसा काम करने के लिए उत्साह पँदा होता है। ऐसी कार्यवाही तब हुई जब कि युथ कांग्रेस का ग्रान्दोलन चल रहा था। उस समय जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की उनको उस समय हीरो वनाया गया । ऐसा किसी ग्रपराधी के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो, चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो या किसी भो मत-मतान्तर से सम्बन्धित हो। ऐसे श्रपराध करने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए तभी लोगों में ग्रपहरण को कार्यवाही करने के लिए भय उत्पन्न हो सकता है।

370

लेकिन, श्रगर किसी को छूट या राज-नीतिक प्रश्रय दिया गया तो यह भावना

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

बढती जायेगी। व्यास जी ने कहा था कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, में खासतौर से इसका विरोध करता हं। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अपराध-किंमयों को अगर यह मालम हो जायगा कि पकड़े जाने के बाद गोली मार दी जायेगी तो वे विस्फोटक या विध्वंसकारी पदार्थ रख कर एयरकापट का डमेज कर सकते हैं जिससे सभी के जान-माल की क्षति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे ग्राजीवन कारावास देनी चाहिए, साथ ही साथ जमानत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भी राष्ट्रीय ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत बड़ा जघन्य ग्रपराध है। ऐसे लोगों को जरा भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इस विल में उसकी कमी है।

जहां तक मुरक्षा के सम्बन्ध में जांच की वात है, उसमें भेदभाव की नीति होती है। बहुत से विकसित देशों में ग्राधुनिक-तम तरीके से जांच करने की व्यवस्था है। लेकिन हिन्द्स्तान में सुरक्षा प्रहरी शरीर को इस तरह से पकड़ते हैं जिससे उनके शरीर में दर्द हो ग्रौर किसी विशय व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ते हैं । इस तरह का भेद-मुलक व्यवहार नहीं होना चाहिए इसलिए सरकार को ग्राध्निकतम व्यवस्था की ग्रोर ध्यान देना चाहिए। जब तक एयरकापट रहता है कोई उसमें ग्रॉयल में पानी मिला देता है तो ऐसी जगह पर कोई भार-साधक प्रहरी को रखा जाना चाहिए। उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ग्रगर एयरकाफ्ट में किसी तरह की गडबडी होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा । ऐसी ग्रवस्था में ही एयरकापट मुरक्षित रह सकता है।

इसी दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिए। ग्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के ग्रन्सार है। कन्वेन्शन ग्रौर म[ा]ण्ट्रियल कन्वन्शन के ग्रनुसार 70 देशों ने इसे पहले ही ग्रपना लिया लेकिन हम पीछे हैं। इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक भावना हो सकती है। यही कारण है कि बहत से राजनीतिक ग्रीर कान्तिकारी ग्रपराधकर्मियों का हौसला बढ़ा है ग्रौर इसी वजह से चार-पांच बार ऐसा हम्रां है। मुरक्षा प्रहरी सभी लोगों की जांच करते हैं—संसद् सदस्य ग्रीर कुछ ऐसे विशेष लोगों की भी जांच करते 🖁 जैसे ईमानदारी दिखा रहे हैं। लेकिन जिनके पास रिवाल्वर या बम रहता है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाने हैं । केवल हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं ग्रीर कितनी बहा-दूरी से जांच कर रहे हैं। श्रपराधकिमयों का पता लगाने के लिए कुछ ए से लोगों को विशेष ट्रैनिंग दें जैसा विदेशों में होता है ग्रीर उसी का ग्रनुसरण करना चाहिए। इन गःदों के साथ मैं समाप्त करता हं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (वाड्मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विमान ग्रपहरण विधेयक 1982 एवम् सिवल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 जो सदन में प्रस्तुत किए गए 🔭 मैं उसका समर्थन करता हं। यों तो इस कानुन का, विरोधी पार्टी के सदस्यों ने ग्रीर इस पार्टी के सदस्यां ने समर्थन किया है। परन्तू जो इस वात पर जोर दिया गया है ग्रीर सरकार पक्ष को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि जब हमने कन्वशन पर 1970-71 में हस्ताक्षर कर दिये फिर इतने विलम्ब से यह कानन क्यां लाया गया ? आरे जब देगी से लाया गया तो इसमें यह भी लिखना चाहिए था कि यह तुरन्त लागू होगा। लेकिन यह भी नहीं बिल में लिखा गया है। जब कि हमने सैलरीज और पेंशन बिल को परसों यहां पास किया और राज्य सभा ने कल पास किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी लागू हो जायगा, उसी प्रकार की कार्यवाही इस बिल के बारे में भी करनी चाहिए। नोटिफिकेशनं में जारी करने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। इसलिए कानून में स्पष्ट लिखना चाहिए।

बिल में व्यवस्था है कि स्रपहरणकर्ता को लाइफ इमित्रजनमेंट होगी। तो जब लाइफ इमित्रजनमेंट होगी। तो मतलव यह होता है कि यह स्रपराध काग्नीजोविल और नान-वैलेबिल होगा। यह प्रौवीजन इस विल में होना चाहिए, जो कि सभी नहीं है। स्राई० पी० सी० स्रौर किमिनल प्रोसीजर कोड के यह प्रोवीजन इसमें लागू होंगे कि नहीं इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। मंत्री जी को इस बारे में संशोधन करना चाहिए। स्रन्यथा लाइफ इमित्रजनमेंट होने के बाद भी यह प्रभन स्रायेगा कि यह स्राफेंस नान-बलेबिल स्रौर काग्नीजेबिल है कि नहीं। यह बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई है।

तीसरी वात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारा विमान अपहरण करके लाहौर ने जाया गया था और वाद में हमको लौटा दिया गया, नेकिन उस अपहरणकर्ता को अभी तक हमें नहीं लौटाया गया है। यह चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच क्या करस्पौंडेंस हुई है, क्यों नहीं उस अपहरणकर्ता को लौटाया गया यह भी हमें बताया जाना चाहिए। क्या इसलिए नहीं लौटाया है कि हमारे यहां कोई कानन नहीं था जिसके अधीन किशन ले सकते ? नेकिन इस कानून के वाद एक्शन ने सकते हैं तो इस

सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए प्रोर प्रपहरणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही होनो चाहिए । जो उसका लक्ष्य था ख।लिस्तान का ग्रोर पंजाब की भी जो स्थिति है तो ग्रपहरणकर्ता से पूछताछ कर के जान कारी की जा सकती है कि उसके पीछे कौन सी शक्तियां थीं या हैं जिन्होंने उसको यह काम करने के लिए प्रेरित किया । इसलिए ग्रावश्यक है कि उस ग्रपहरणकर्ता को हम ग्रपन देश में वापस लायें ताकि पूरी जांच कर सकों ग्रीर क्या कांस्प्रेसी है उसका पत्त। हमें चल सके ।

वह श्रपहरणकर्ता कृपाण ले कर चला गया उसके लिए कौन कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। और हमारी मरकार कृपाण ले जाने को परमीणन दे यह भी स्थिति हम ठीक नहीं समझते हैं। क्योंकि श्रगर कृपाण रिलाजम प्वाइन्ट से है ता दूसरे रिलीजन वाले भी कह सकते हैं कि हम यह हथियार उपयोग करते हैं, हमें भी एलाऊ करना चाहिए। इस वारे में सरकार को सोचना चाहिए।

किसी भी धर्म का व्यक्ति ग्रग्र कोई भो किसी किस्म का हथियार ग्रपने पास रखता है, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या किसी भी कारण से हो ग्रौर उसको प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं है तो भी कभी भी उसकी प्रवृत्ति हिंसा की हो सकती है ग्रौर वह उस हथियार को प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए हमें ग्राधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

तलाशी की जो बात कही गई है, मेरा कहना है कि सब का समान चैंक किया जाना चाहिए, चाहे एम० पी० हो या मंत्री हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्म० पी० जुर्म

37

Unlawful Acts again t Aviation

नहीं कर सकते हैं। यह स्रावश्यक नहीं है कि जर्म करने वाला साधारण व्यक्ति या इंडस्ट्यिलस्ट ही हो सकता है जो कि कस्टम के ग्रोफेन्स कर सकता है। कोई भ व्यक्ति ग्रौफेन्स कमिट कर सकता है, इसलिए तलाणी के लिए गाइड लाइन्स होनी चाहिए। ग्रीर सब के लिए वरावर की गाइड लाइन्स जारी कर के सब की तलाशी की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो कानन प्रस्तृत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हं।

MR. DEPUTY SPEAKER: We are winding up the di u ion. Shri A. K. Roy..

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Sir I seldom travel by air. I know only a little about the e affair like hijacking. Whatever we may say people in India do not fly, VIPs fly. And may be the enemies of the people by. But the common people walk on the ground. So I do not think that thi Bill has got that much impor-

MR DEPUTY SPEAKER: VIPs are not enemies of the people, I think!

SHRI A. K. ROY: We are decade behind giving a legal shape to a convention which wa pa ed and adopted in early 70. We are not only technologically behind. Even in legal matters we are falling behind.

I do not want to comment on all these thing becau e thi ha already been done.

I only want to point out one thing. Hijacking is not an ordinary offence. Hijacking is a political offence. So the quetion that arises i whether by increa ing the quantum of punishment, can we contain any political offence? I think we cannot Because those people who take to such desperate course, to whatever party or ideology they may belong do not care for the con equence. So, if we think or if we live in our own paradise, and make the puni hm nt deterr nt to deter uch an offence, then, we would only be deceiving our elve.

You have to reat some o ial sanction, ome political anction and ome conciou ne again t thi crime. It is not a le al affair.

Those who are considered criminal today, they may be regarded a liberators tomorrow. Value change with the time.

We have, therefore, to lay emphasis on political antion and o ial antion again t thi crime.

You have observed that this Bill is more or less non-controver ial. Even then, each and every Member may doubt its effectivenes and put ome que tion or some jarring note in their speeches as usual. Why? Because people doubt the be ic hone ty of this Government. There is a wide gap between precept and price tice.

We referred to the hijacking from Lucknow to Varana i or omething like that, I know that becaue that wa allo debated in thi Houe. A pecial d bate was held only to di cus the hijacking, Sir. you would be surprised to know the stand the Congress Party took at that time. That was why I became interested in participating in such a debate,

Wildom hould not drawn on the people imply becau e one change ide. Sir, Shri R. Venkataraman i now Defence Mini ter. He i one of the enior Minister and a very soft poken man. He p ke very plainly. What did he ay in that debate? He said:

"Sir I will take only two minutes about hijacking. This hijacking when it was originally mentioned in the papers really created a great deal of anger in the country. All of u felt, but ultimately, when it turned out to be nothing more than a toy pistol and cricket ball, Sir, it has become a joke of the year. Unlawful Acts again t Aviation

"AN HON, MEMBER: It turned out to be un apple.

HRI R. VENKATARAMAN: What is more, these people do not seem to have even threatend or done anything of that kind. They eemed to have urrendered them elve. Sir, if it had happened on the 1 t of April, all of u would have said that it is an April Fool joke."

I after two years, it was said that what was done by Khalistan people was wrong. They howed a toy pittel or quava and it became a joke later. I want to emphasie one thing. Of course I have not to grind. One should take a very consistent line. If omething had been done one hould be very erious about it whether he he in the Opposition or in the Government. You forget one thing. Whatever you lay here, that become a part of the record. Anybody can quote that and refer to that. Parliamentary Proceeding are very precious. To dry you are in the Oppo ition. Tomorrow you may become a Minister. While in Opposition you ay om thing and that an be quoted when you become a Mini ter.

I would now like to say this. In answer to a question, the Minister has said that after 1980 and 1982 four cases of hijacking took place. In three cases, hijacker boarded the aircraft at Delhi and only in one case he boarded at Udaipur. That mens in Delhi, the capital of India ecurity arrangment eem to be lacking. We want to ay how that could take place. You have aid in an wer to a question a follow:

"Toward this end ophi ticated detection equipment, viz., Hand held metal detectors, door frame metal detectors and X-Ray Hand Baggage Scanner, are progre ively being installed."

I would like to know how progre ively the e are being installed. You have been taking several top. You again ay that there are political offences. There cannot be controlled only by deterrent punishment. That is my conviction. You have to create an atmosphere and have to deal with it politically. With the e few word. I conclude.

Bill & Supp. of

Bill

Safety of Civil

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister can reply.

नागर विमानन तथा नागरिक पृति मंत्र लयों में राष्य मंत्री (श्री भागवत ना भाजाद) 👙 उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों विधेयकों पर जिन माननीय सदस्यों ने यहां ग्रपने विचार प्रकट किये हैं. उसमें व एक बात पर एकमत हैं कि उन्होंने इन दोनों ही विधेयकों का समर्थन किया है, । श्री मुधीर गिरि, जिन्होंने इस वहस को प्रारम्भ किया, बहत सुन्दर ग्रौर कम जब्दों में इसकः पष्ठभिम ग्राप के सामने रखी। क्या नियम है, उसको रखा, क्या प्रावधान हैं, उनको वताया ग्रीर साथ-साथ भ्रौर भ्रधिक क्या करना चाहिये, उसको भी कहा। इसके साथ ही कहीं-कहीं उन्होंने राजनैतिक छीटाकणी भी की, जो कि करनीं चाहिये थी ग्रीर ग्रावश्यक भी उनके लिए ताकि व ऐसा करते । लेकिन मैं इस बात के लिये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि उनके साथ सर्वश्री गिरधारी लाल व्यास, हरीश कुमार गंगवार, जयपाल सिंह कश्यप, डा० स्वामी, रामावतार गास्त्री, राम विलास पासवान तथा ग्रंत में श्री ए० के० राय सभी ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया।

लेकिन साथ-साथ तीन प्रकार की समालोचनाएं सामने आई। एक तो यह कि इस कानून को तुरन्त लागु किया

380

श्री भागवत झा आजाद]

Aviation

जाये । दूसरे, जो पांच ग्रपहरणकर्ता ग्रंभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको लाने का प्रयास किया जाये। तीसरे स्रक्षा के प्रबवध को श्रीर मजबूत श्रीर श्राध्निक वनया जाये। अधिकांश मेम्बरों ने राय प्रकट की कि सुरक्षा की जांच के सम्बन्ध में सुधार किया जाये।

इसके ग्रलावा जो दूसरे प्रकार की समालोचना थी, वह देश के ग्रन्तर्गत चलने वाली वायुयान सेवाग्रों, उनमें देरी, भोजन स्रीर भारतीय भाषास्रों के सबगर देने के सम्बन्ध में थी।

तीसरे प्रकार की समालोचना थी राजनैतिक। मैं तीसरे प्रकार की समाली-चना के सम्बन्ध में पहले कह दूं कि मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हं कि अपहरणकर्ता चाहे किसी भी पार्टी या राजनैतिक दल का हो, चाहे वह किसी विचार को बड़ा उदात्त बना कर कहता हो कि मैं इतने बड़े काज के लिये यह काम कर रहा हूं, उसकी कार्य-वाही चाहे किसी सिद्धांत के लिये ग्रीर किसी भी ग्रवसर पर हो, वह विल्कूल गलत है, वह समाज का सबसे निकृष्ट प्राणी है प्रीर इस लिये उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस कानून का तुरन्त लागू किया जाये, जोकि शास्त्री जी ने कहा, यह बिल्कुल सही है। हम इस कानून को तुरन्त लागू करना चाहते हैं, क्योंकि 19 नवम्बर, 82 से एशियाड प्रारम्भ हो रहा है ग्रीर इसके वाद गृट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मलन हो रहा है ग्रीर उनके लिये इस कानून को लाना जरूरी है भ्रीर

जाये। दूसरे, जो पांच अपहरणवर्ता कानुन को राष्ट्रपति की असंट मिल जायेजी हम इसको तुरन्त लागु करेंगे। इस लिये वह तुरन्त लागू हो जायेगा । इस वजह से इस बिल में "एट वन्स" नहीं लिखा गया 🔭

लेकिन इस सम्बन्ध में एक कठिनाई है। हमने जो दो कनवेंशन माने हैं, उनके ब्रनुसार संसार के तीन राष्ट्रों को नोटिफाई करना है। उसमें दो, चार, पांच दिन का वक्त लग जायेगा। हम इस कानून की तरन्त लागू कर देंगे। इस लिये इसका उल्लेख **र**स बिल में नहीं कर पाये हैं।

हमने सुरक्षा प्रबन्ध के प्रश्न को बहुत गम्भीरतापूर्वक लेना है। जिन राष्ट्रों में वाययान की सेवाएं ग्रधिक हैं-उदाहरणार्थ ग्रमरीका में—, वहां हाई-जैंकिंग भी ग्रधिक है। उसकी तुलना में हमारे देश में पिछले वर्षों में चार हाईजैंकिंग हुये हैं। मगर हम समझते हैं कि ग्रगर एक भी हाईजैकिंग हुग्रा है, तो वह गलत हुम्रा है। इसलिये सुरक्षा प्रवन्ध पर हम ग्रधिक से ग्रधिक जोर दे रहे हैं।

यह कहना सही नहीं होगा कि हम पुराने तरीकों से जांच कर रहे ै। जांच करने के जो लेटेस्ट, ग्राधुनिकतम, तरीके हैं, वे हमने लाग कर दिये हैं। उनमें से एक तो हैंड मेटल डिटेक्टर है ग्रीर दूसरा डोर फ़्रेम है। तीसरा उपकरण वह है, जो ग्रभी तक नहीं ग्राया था, जिसको हम अब लाये हैं भीर आगे अधिक, तेजी से लायेंगे। जो व्यक्ति जा रहे हैं उनभी आंच तो हम हैंड मेटल डिटेक्टर ग्रीर डोर फ्रेम डिटेक्टर से कर देते हैं,

3/2

लेकिन उनके वैगेज की जांच हम ग्रभी तक प्रापरली नहीं कर पाते थे। उसके लिये हमने एक्सरे गैजेट बम्बई ग्रीर दिल्ली में लगाय हैं । सब से वड़ी परेशानी इसके मिलने की थी; वह बाहर मिलता है। वह ग्रपने ही देश में बन जाये—ई० सी० म्राई० एल > बना दे या वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट की का-पोरिशन बना दे-ग्रीर वह जल्दी मिल जाये इस उधेड़-बुन में थोड़ी देर हो गई है। ग्रव हम इस बात के लिये कृत-संकल्प 🐉 कि खासकर हमारे बहुत सेंसि-टिव एरियाज में जो एयरपोर्टस हैं, वहां इस उपकरण को हम जल्द से जल्द लगा-येंगे-दिल्ली में लगाया है, एशियाड वि-लेज में लगाया है, बम्बई में लगाया है ग्रीर ग्रमृतसर ग्रीर श्रीनगर में बहुत जल्दी लगायेंग ।

सुरक्षा जांच के जो तीन प्रमुख ग्राधु-निकतम तरोके हैं उनको हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें प्रधिक ग्रावश्यक यह है कि जो लोग ईन तरीकों को युज करने वाले हैं, जो इनका प्रयोग करने वाले प्राफिसर्स हैं उनको ग्रच्छी ट्रेनिंग दी जाये। इन ग्राफिसर्स को हम विभिन्न राज्यों से लेते हैं, उधार, लीयन पर लेते हैं। हम चाहते हैं क दुर्भाग्य से यदि किसी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो उस राज्य का हमें पूरा सहयोग मिले । हम ग्रपना एक सलग काडर 5-6 हजार ब्रादिमयों का बनायें, वह वात भी ब्राती है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं वहा राज्य प्रशासन से हमारा ग्रधिक से ग्रधिक सहयोग ग्रौर सम्बन्ध रहे । इसीलिये हम राज्यों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें लीयन पर ग्रधिकारी दें ग्रौर ग्रधिक समय के लिये दें, एसा न हो कि 6-8 महीन के बाद उनको वापिस बुला लें। हम यह भी चाहते हैं कि हमको अच्छे अधिकारी दें।

जांच के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि संसद सदस्यों में भेदभाव किया जाता है। मैं कहना चाहंगा कि यह इसलिये नहीं है कि जांच की ही जाय, सच बात तो यह है कि हम, हमारा मंत्रालय, एयर-इंडिया ग्रौर इंडियन एयर लाइन्ज यह बिल्कुल नहीं मानते हैं कि हमारे संसद सदस्य हाई जैंकिंग करेंगे प्रश्नं इस बात का है कि जब वर्षों में एक बार काई एक व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसको रोकने के लिये इतनी ब्रधिक-सावधानी करनी पड़ती है ग्रीर इतने ग्रधिक व्यक्तियों की जांच की जाती है। जहां व्यक्ति की सुबद्धि ने प्रगति की है, उसकी कुबुद्धि न उससे प्रधिक प्रगति कर ली है। ग्राज एक व्यक्ति ग्रपने पास चार-चार फोर्ज्ड पासपोर्टस रखता है। वह एक माननीय सदस्य के फोर्ज्ड-ग्राइ-डेंटिटी कार्ड से निकल भी सकता है। यदि इस प्रकार से कभी एक व्यक्ति भी निकल जाता है तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। प्रश्न यह है कि उन हजारों व्यक्तियों में कोई एक कुबुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है ग्रीर उनके नाम से निकल सकता है । इसलिये उसको रोका जाये। मेरे पास विधान सभाग्रों के एमं० एल० एजं० के पत्न ग्राये हैं, राज्य सरकारों के मंत्रियों के पत भी ग्राये हैं ग्रीर ग्रमुतसर मंतो एक बड़े अधिकारी ने भी प्राटेस्ट की थी कि जब ग्राई० एस० ए०, ग्राई० पी० एस० ग्राफिसर्ज को ग्राप छोड़ते हैं तो मेरे क क्यों नहीं? मैं भी एक वडा ग्राफिसर

[श्रो भागवत झा ग्राजाद]

हुं। इसलिये प्रक्रन यह नहीं है ग्रार हम कभी एसा नहीं सोचते कि कोई एम ज्यो जहाइजिकग करेंग। परन्तु अप-हरण को रोकने का प्रश्न इतना कठिन है कि दूसरे ब्यक्तियों के साथ-साथ मैं प्रपने जांच के लिये समर्पित करता हूं। ग्राप इस को इस रूप में देखें कि मैं जो स्वयं मंविषंडल में हं, मझ भी वर्तमान नियमों के अनुसार मुरक्षा जांच के लिये अपने को समर्पित करना पड़ता है। केन्द्रीय मंडिमंडल के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं या जो मुख्य मंत्र, हैं, ऐसे कुछ लोगों को छोड कर वाकी सभी ब्यक्तियों पर यह बात लागु है। यह बात दूसरी है कि काई व्यक्ति जांच करन के काम में ग्रपना रोव न दिखाये, वदतमीजी न दिखाये, उस काम का नमतापूर्वक करे, ठीक से करे। इस वात के लिये सुधार की वरावर गंजाइश है ग्राह्म वरावर प्रयास करते रहेंगे। उनको कहते हैं कि ग्राप इस काम को इस रूप में की जिये। इसलिये मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य इसको इस रूप में देखेंगे तो मन्तुष्ट हो जायेंगे।

इस विल के स्रतिरिक्त भी कुछ वातें कही गई हैं—जैसे इण्डियन एसर लाइंज के लिये कहा गया कि हवाई जहाज लेट चलता है। मैंने प्रथम वात यह कही है, अपने दोस्तों को, —जसे कुछ मिन्नों ने सखवारों में लिख दिया कि भागवत झा स्राजाद ने कहा है—

I am the most powerful person.

मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ग्रपने फर्स्ट ब्रीफिंग में ग्रपने ग्रफसरों को यह कहा है कि ग्राप निर्मीकतापूर्वक जो ग्राप की इच्छा हो वह लिखो, सामने रखे शष्ट्र को ग्रीर भगवान को। यदि भगवान को नहीं मानते हैं तो डायलैक्टिकल-मैटीरियलिज्म के ग्रन्तगत जो गरीब ग्रादमी हैं उसकी तस्बीर सामने खो? लेकिन उसके वाद मंत्री जी निर्णय करे तो वह मंत्री का निर्णय नहीं सरकार का निर्णय मान कर उसका प्रतियालन होना चाहिये। उसी बीफिंग में मैंने यह भी कहा कि एग्रर इंडिया भीर इंडियन एम्रर लाइंज के लिये कुछ गौरव हम को भी पहुंचाना चाहें तो सब से पहला मुधार यह करें कि लेट चलना वन्द हो श्रीर दूसरे-भोजन में सुधार कर दें। मैं इन दीनों वातों के लिए जोर लगा रहा हूं। मैंने ग्रपने सचिवालय के सचिव से, जो नये ग्रौर जारदार व्यक्ति हैं, कहा है कि हम हर एग्ररकापट का हिस्ट्रीशीट रखें । पता लगायें कि कव, किस समय ग्रमक एग्नर-कापट कितना लेट हुआ और क्यों हुआ है। मैंने यह भी कहा है कि यह नामें ली नहीं होना चाहिए --

l am sorry for the delay, I apologise. यह ग्रादत नहीं बननी चाहिए । कभी-कभी देर हो जाती है लेकिन ग्राम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए ।

म्झ कुछ सदस्यों ने कहा है कि ग्राप न भोजन में सुधार कर दिया है, लेकिन कुछ ते व्यंग भी किया है कि पटना वाले में सुधार हुन्ना है। मेंने कहा कि बम्बई वाले में भी कर दूंगा, ग्रमाम वाले में भी कर दूंगा, कलकत्ता वाले में भी कर दंगा। ग्राप का कहना ठीक है।

तीसरी वात—इन वायुयानों में भारतीय माषाग्रों के पत्र होने चाहिए —इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। जो हवाई जहाज जिस जगह से उड़ता है, उस में अंग्रेजी अखबार तो होते ही हैं, लेकिन उस में भारतीय भाषाग्रों के पत्र भी हों, यह ग्रादेश—मैंने

Anti Hijacking Unlawful Acts against Aviation

राज्य सभा में भी कहा है--मैं तूरन्त प्रसारित करा दंगा । यह आवश्यक है कि ग्रगर मद्रास से हवाई जहाज चलता है तो तमिल के प्रमख पत्र भी उस में हों, भगर वह नागपूर से हो कर गुजराता है तो उस में महाराष्ट्र के भी प्रमुख मराठी पत हों । अगर वह पटना जाता है ता हिन्दी क प्रमुख पत्र हों। कलकत्ता से उड़ तो उसमें ग्रंग्रेजी के अलावा बंगाली तथा हिन्दी के पत्र भी होने चाहिए। यह इन्तजाम मैं फीटन करा दुंगा?

मानगीय सदस्यं न जिन वातों का उल्लेख किया, उन के लिए मैं उसका कृतज हं, लेकिन हुना कर इस में कोई ग्रौर बात मन पठियगा । इस बिल से म्रलग ज बातं कहीं गई हैं उन पर भी हम विचार करेंगे और जो उचित होंगी उन को मान लेंगे। जहा तक राजनीति वाली बात कही गई थी, वह आप का मुवारक हो। जहां नक दर की बात है कि इतनी देर क्यों हई--मैं उस का कोई जवाब दं तो ग्राप सहमत नहीं होंग, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देता हूं ग्रीर ग्राप स क्षमा चाहता हं। कहते हैं--देर ग्रायद दुरुस्त- द--इस दुष्टि से ग्राप सन्तोष मान लें। इन जब्दों के साथ मैं ग्राजा करता है कि ग्राप इस का पूर्ण समर्थन

MR. DEPUTY-SPEAKER: The queion i:

" That the Bill to give effect to the Con ention for the Suppres ion of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as pa sed by Rajya Sabha, be taken into con ideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

" That clau e 2 to 11 stand part of the Bill".

Bill & Supp. of

Safety of Civil

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill Clau e 1 Short Title, extent, application and Commencement.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna); I hee to move:

for lines 14 and 15, substitute-

'(3) It shall come into force at once." (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Amendment moved by Shri Rama tar Shastri to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived. MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

'That Clau e 1 stand part of the Bill." Themotion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. D PUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Emarting Formula, the Preamble and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री भागवत झा श्राजाद महोदय, प्रस्ताव करता हं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The tion is:

> "That the Bill be passed." The motion was adopted.

2542 LS-13

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put to vote consideration motion in respect of Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Bill.

"That the Bill to give effect to the Convention for the Suppres ion of Unlawful Acts again t the Safety of Civil Aviation and for matter connected therewith; a passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Hou e will now t ke up Clau e-by-Clause con ideration of the Bill.

MR. DEPUTY-SPE KER: The quetion i:

"That Clause 2 to 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1—Short Title, extent, application and Commencement

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an Amendment of Shri Ramavtar Sha tri in Clause 1 of the Bill. Are you moving?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna); Yes, Sir.

I beg to move:

"Page 1,

for lines 16 and 17, substitute-

'(3) It shall come into force at once."

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Shri Sha tri' amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The quetion i:

'That Clause 1 stand part of the Bill.'

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill,

MR. DEPUTY-SPEAKER: The que-

'The Enacting formula, the Preamble and the title stand p rt of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री भाग^वत झा ग्राजा मतावय, मैं प्रस्ताव करता हूं

> "iक विधयक का पारित किया जाए"।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question i:

'That the Bill be pas ed."

The motion was adopted.

13.43 br.,

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fortyfive Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifty minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]